

**FIRST INFORMATION REPORT**  
(Under Section 154 Cr.P.C.)

**प्रथम सूचना रिपोर्ट**  
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

- District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB HISAR Year (वर्ष): 2019

FIR No. (प्र.सू. सं.): 0004 Date and Time of FIR (प्र.सू. की दिनांक और समय): 26/01/2019 17:01 hrs
- | S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम)                     | Sections (धारा(एँ)) |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| 1               | IPC 1860                           | 347                 |
| 2               | IPC 1860                           | 384                 |
| 3               | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 7                   |
- (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Friday Date from (दिनांक से): 31/08/2018 Date To (दिनांक तक): 31/08/2018

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 12:00 hrs Time To (समय तक): 20:00 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 26/01/2019 Time (समय): 16:00 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 006 Date and Time (दिनांक और समय): 26/01/2019 16:33 hrs
- Type of Information (सूचना का प्रकार): Written
- Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): WEST, 130 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): कालावाली सिरसा,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):
- Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): सतनाम सिंह

(b) Father's Name (पिताका नाम): जीत सिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1982 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

| S. No. (क्र.सं.) | ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) | ID Number (पहचान संख्या) |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|
|------------------|--------------------------------|--------------------------|

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

## I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

| S.No. (क्र.सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता)                                 |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1               | Present Address              | घुकावाली, तहसील कालावालीSIRSA, HARYANA, INDIA |
| 2               | Permanent Address            | घुकावाली, तहसील कालावालीSIRSA, HARYANA, INDIA |

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

| S. No. (क्र.सं.) | Name (नाम)   | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Present Address(वर्तमान पता)                 |
|------------------|--------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                | सन्दीप कुमार |               |                                    | 1. SHO<br>kalanwali,SirsaSIRSA,HARYANA,INDIA |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

| S. No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण)                                | Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में)) |
|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1                | COIN AND CURRENCY                   | INDIAN RUPEE                       | बाबत मागने रिश्वत झुठे मुकदमा मे फंसाने की एवेज मे | 4,30,000.00                     |

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,30,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

| S. No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.) |
|------------------|--------------------------------|
|------------------|--------------------------------|

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्रीमान जी, शिकायत क्रमांक 16656/शिकायत /574/हिसार/2018 / दिनांक 28.11.2018 के अनुसार इस कार्यालय को प्राप्त हुई थी यह शिकायत परिवादी श्री सतनाम सिंह पुत्र श्री जीत सिंह वासी गांव घुकावाली तहसील कालावाली जिला सिरसा के विरुद्ध श्री संदीप कुमार उप निरीक्षक तत्कालीन प्रबन्धक थाना कालावाली बाबत नजायज व गैर कानूनी हिसासत में रखकर छोड़ने कि एवज में रिश्वत की राशि मुबलिक 4,30,000/- रुपये लेने बारे हुई थी जिसका मजमून जैल इस प्रकार से है। सेवा में माननीय डी0जी0 साहब विजीलेंस विभाग सैक्टर 6 पंचकुला हरियाणा । विषय प्रार्थना पत्र बाबत किये जाने विभागीय कार्यवाही बर खिलाफ संदीप कुमार तत्कालीन एस0एच0ओ0 थाना कालावाली हाल नियुक्त निरीक्षक सी0आई0ए0 डबवाली जिला सिरसा वा इसके द्वारा मन प्रार्थी से नाजायज वा गैर कानूनी तरीके से वसूल की गई मुबलिक 430000/- रुपये की राशि बरामद करके प्रार्थी को दिलवाये जाने बाबत श्रीमान जी प्रार्थी निम्नलिखित निवेदन करता है:- यह कि मन प्रार्थी गांव घुकावाली तहसील कालावाली जिला सिरसा का स्थाई निवासी है और खेतीबाड़ी का कार्य करता है। 2 यह कि सुखप्रीत सिंह निवासी तखतमल वा हरदीप सिंह निवासी गांव घुकावाली तहसील कालावाली जिला सिरसा के साथ मन प्रार्थी के भाई राजा सिंह का पुराना विवाद चला आ रहा है और इस बाबत मुकदमा भी दर्ज है जो सिरसा की अदालत में चला आ रहा है और हरदीप सिंह का भाई गुरमेल सिंह पुलिस महकमा में लगा हुआ है जिसकी मौका पर नियुक्ति डबवाली में है और गुरमेल सिंह वा संदीप कुमार दोनों एक ही महकमा में होने के कारण की आपस में एक ही बात/अच्छी जान पहचान है सुखप्रीत सिंह वा हरदीप सिंह के साथ हमारा विवाद होने के कारण ये लोग हमारे से रंजिश रखते आ रहे थे। और मन प्रार्थी को झुठे मुकदमा में फसाने की धमकीया देते आ रहे थे। 3 यह कि संदीप कुमार जिसकी इससे पहले नियुक्ति थाना कालावाली में थी दिनांक 31.08.2018 को दिन में समय 11:50 मिनट की बात है कि मन प्रार्थी लवली स्वीटस कालावाली के सामने अपनी स्कोरपियों गाडी में बैठा हुआ था और मेरे साथ वाली सीट पर भोला सिंह पुत्र चंद सिंह निवासी वार्ड नं0 5 कालावाली बैठा हुआ था तो इतने में एक सफेद रंग की डस्टर गाडी आई जिसमें से दो आदमी उतरे जिनमें से एक व्यक्ति ने मेरी गाडी का शीशा खटखटाया जो मैंने गाडी का शीशा नीचा किया उस व्यक्ति ने मेरे से मेरा नाम पता पुछा जो मैंने उसे बता दिया। उस व्यक्ति ने मुझसे गाडी की चाबी वा मेरा मौबाईल मांगा जो मैंने देने से इंकार कर दिया जिस कारण मेरी उसके साथ तु तु मैं में हो गई । उसके साथ जो दुसरा व्यक्ति था उसने मन प्रार्थी को कहा कि यह थाना कालावाली के एस0एच0ओ0 साहब संदीप कुमार है इससे तम्मीज से बात करो जिस पर मैंने उनको सोरी बोल दिया। 4 यह कि इसके बाद उपरोक्त संदीप कुमार ने मेरी गाडी में साथ वाली सीट पर बैठे भोला सिंह को गांड़ी से नीचे उतार लिया और मुझे कहले लगे कि तु गाडी लेकर हमारे साथ थाने चल जो मैं उनके कहे अनुसार गाडी लेकर थाना चला और मुझे काफी देर तक बिना कोई कसुर के थाना में बिठाए रखा। जब मैंने एस0 एच0ओ0 से पुछा कि मुझे यहा किस जुर्म में बिठा रखा है और मेरा कसुर क्या है तो उपरोक्त संदीप कुमार ने कहा कि चुपचाप यहा पर बैठे रहो तुम्हे तुम्हारा कसुर भी पता चल जायेगा। जो करीब 3:00 बजे का समय था कि उपरोक्त एस0एच0ओ0 संदीप कुमार मुझे कहने लगा कि या तो तुम मुझे 12 लाख रुपये की रकम दे दो नही तो मैं तुम्हें किसी मुकदमें में संलिप्त कर दूंगा इस दौरान मन प्रार्थी के साथ जो व्यक्ति भोला सिंह था ने गांव घुकावाली में रहने वाले गुरशरण सिंह को फोन करके सारी बात बताई और गुरशरण सिंह ने इस बाबत प्रार्थी के चाचा के बेटे हरपाल सिंह वा प्रार्थी के भांजे काला सिंह को सूचित किया और चकरीया में रहने वाले गुरमीत सिंह जो कि पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत चकरीया नछतर सिंह के साथ रहता है को सूचित किया जिस पर ये सभी व्यक्ति थाना कालावाली में आ गये

## I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

और संदीप कुमार से सारी बात पूछी जिस पर उपरोक्त संदीप कुमार ने सभी को कहा कि सतनाम सिंह को छुड़ाने की एवज में पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे नहीं तो इस के खिलाफ केस बना दुगां जो सब ने डर के मारे कि संदीप कुमार कहीं प्रार्थी के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना कर दे उपरोक्त संदीप कुमार को हामी भर दी और 850000/- रुपये में यह सारी बात तय हो गई यह है कि उपरोक्त संदीप कुमार से सारी बात तय करने के बाद उपरोक्त सभी व्यक्ति मौका से थाना में से चले गये लेकिन एस0एच0ओ0 ने मन प्रार्थी को थाना में ही बिठाया रखा और कहने लगा कि पैसा दे जाना और सतनाम सिंह को अपने साथ ले जाना जिस पर शाम करीब 7 बजे 1 लाख रुपये की राशि निवासी जलालआना 50000/- रुपये हरपाल सिंह मन प्रार्थी के चाचा का बेटा 150000/- रुपये लीला सिंह निवासी 100000/- रुपये जगराज सिंह वासी घुकावाली ये सभी व्यक्ति थाना कालावाली में आये और 400000/- रुपये की राशि इक्कठी करके उपरोक्त संदीप कुमार को दे दी और बाकी 450000/- रुपये की राशि की बाबत संदीप कुमार से दो दिन का समय ले लिया जिसपर दो दिन का समय ले लिया जिस पर संदीप कुमार ने मन प्रार्थी को छोड़ दिया और मन प्रार्थी उपरोक्त आये हुये व्यक्तियों के साथ चला गया। यह कि इसके दो दिन बाद संदीप कुमार ने किसी से मन प्रार्थी को फोन करवाया बकाया और बकाया साढ़े चार लाख रूप्यें की मांग की और मन प्रार्थी को अनाज मण्डी कालावाली में बुलाया जो मन प्रार्थी से पैसों का इन्तजाम नहीं हो सका और प्रार्थी के घर में रखे तीस हजार रुपये की राशि लेकर प्रार्थी श्याम करीब 5:30 बजे अनाज मण्डी कालावाली में चला गया जहा एस0एच0ओ0 संदीप कुमार पहले ही बैठा था जो प्रार्थी ने उसे कहा की प्रार्थी पैसों का इन्तजाम ना कर सका है और उसके पास तीस हजार रुपये हैं जो संदीप कुमार चाहे तो प्रार्थी से ले सकता है जिस पर संदीप कुमार गुस्सा हो गया और उसने वह 30000/- रुपये की राशि प्रार्थी से ले ली और कहा कि यह पैसे तो मैं रख लेता हूँ। तुम 2 दिन के अन्दर -2 420000/- रुपये की राशि इन्तजाम करके मुझे दे देना नहीं मैं तुम्हें थाना में ले जाकर मुकदमा दर्ज कर दुगां यह कि इसके 5-7 दिन बाद ही उपरोक्त संदीप कुमार का तबादला कालावाली से डबवाली हो गया और अब भी वह दुसरे लोगों की मार्फत मन प्रार्थी से बकाया पैसों की मांग कर रहा है कि यदि प्रार्थी ने बकाया 420000/- रुपये नहीं दिये तो बता दुगां कि पुलिस के पैसे कैसे रखे जाते हैं अतः प्रार्थना है उपरोक्त सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच विजीलेंस विभाग से करवाई जावे और सच्चाई सामने आने पर उपरोक्त संदीप कुमार के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाये और संदीप कुमार द्वारा मन प्रार्थी से ली नजायज तौर पर 430000/-रुपये की राशि मन प्रार्थी को वापिस दिलाई जाये आपकी अति कृपा होगी। उपरोक्त शिकायत की जांच श्री शरीफ सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चैकसी ब्यूरो हिसार के द्वारा अमल में लाई गई। जांच के दौरान प्राप्त किये गये बयानात परिवादी व साक्ष्यों के शपथ पत्रों व निकलवाई गई काल डिटेल के आधार पर पाया गया है कि शिकायतकर्ता सतनाम सिंह पुत्र श्री जीत सिंह निवासी गांव घुकावाली तहसील कालावाली जिला सिरसा को उप निरीक्षक सन्दीप कुमार तत्कालीन प्रबन्धक अफसर थाना कालावाली द्वारा दिनांक 31.08.2018 का करीब 12:00 बजे से सांय 08:00 बजे तक नाजायज तौर से हिरास्त में रखकर बारह लाख रुपये की मांग की जिस पर नछतर सिंह पूर्व सरपंच व गुरमीत सिंह पूर्व पंच गांव चकेरिया के माध्यम से साढ़े आठ लाख रुपये में रिश्वत देने की बात तय हो गई जिस पर सतनाम सिंह के मिलने वालों व रिश्तेदारों ने चार लाख रुपये की राशि का इन्तजाम करके नछतर सिंह व गुरमीत सिंह उपरोक्त के माध्यम से गुरशरण सिंह की हाजरी में दिये जाने पाये गये हैं। इसलिये उप निरीक्षक सन्दीप कुमार तत्कालीन प्रबन्धक अफसर थाना कालावाली ने सतनाम सिंह परिवादी उपरोक्त को दिनांक 31.08.2018 को समय करीब 12:00 बजे से करीब शाम 8:00 बजे तक नाजायज हिरास्त में रखकर किसी झूठे मुकदमे में फंसाने का दबाव बनाकर साढ़े आठ लाख रुपये की मांग करके प्रार्थी से 4 लाख 30 हजार रुपये लेकर तथा बाकी रुपये लेने का दबाव बनाकर सन्दीप कुमार उप निरीक्षक तत्कालीन प्रबन्धक थाना कालावाली ने जुर्म जेर धारा 347, 384 आई0पी0सी0 तथा धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का कारीत किया है अतः सन्दीप कुमार उप निरीक्षक तत्कालीन प्रबन्धक थाना कालावाली जिला सिरसा के खिलाफ मुकदमा जेर धारा 347,384 भा.द.स तथा धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 दर्ज रजिस्ट्रार किया जाकर मिसल मुकदमां हजा मय आमदा रिकार्ड परिवाद 16656/ शिकायत/ 547/हिसार/2018 दिनांक 28.11.2018 बराये तफतीस निजद श्री शरीफ सिंह उप पुलिस अधीक्षक रा.चौ.ब्यूरो हिसार के पास भेजी जा रही है नकुलात प्रथम सूचना रिपोर्ट बजरिया ईमेल इलाका मैजिस्ट्रेट साहब व पुलिस अधीक्षक सिरसा भेजी जा रही है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्य सम्बन्धित अफसरान बाला को बजरिया डाक भेजी जायेगी। SD अगेंजी सुभाष चन्द्र निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो (ह0) हिसार मण्डल हिसार दिनांक 26.01.19। अज थाना:- लेख हजा पर मुकदमा व जुर्म दर्ज रजिस्ट्रार किया जाकर नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर मय शिकायत हवाले श्री शरीफ सिंह उप पुलिस अधीक्षक रा.चौ.ब्यूरो हिसार की गई नकुलात FIR बतौर स्पेशल रिपोर्ट ई-मेल द्वारा इलाका मैजिस्ट्रेट साहब सिरसा व पुलिस अधीक्षक सिरसा की सेवा मे भेजी जा रही है। नकुलात FIR की हार्ड कॉपी बजरिया डाक भेजी जायेगी

## 13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Sharif Singh Rank (पद): ACP (Assistant Commissioner of Police)  
No. (सं.): HPS to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):  
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना  
प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): AJIT SINGH

Rank (पद): ASI

No. (सं.): 304/H

14. Signature / Thumb impression  
of the complainant / informant  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर  
/अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / seen )

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

| S. No.<br>(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date / Year Of<br>Birth (जन्म तिथि<br>/ वर्ष) | Build (बनावट) | Height<br>(cms)<br>(कद<br>(से.मी.)) | Complexion (रंग) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1                   | 2          | 3                                             | 4             | 5                                   | 6                | 7                                    |
| 1                   | Male       | 1983                                          |               |                                     |                  |                                      |
|                     |            |                                               |               |                                     |                  | Is Proxitted: Yes                    |

| Deformities / Peculiarities<br>(विकृतियाँ / विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eye (आँखें) | Habit(s)(आदतें) | Dress Habit (s)<br>(पहनावा) |
|----------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
| 8                                                        | 9            | 10         | 11          | 12              | 13                          |
|                                                          |              |            |             |                 |                             |

| Language/Dialect<br>(भाषा/बोली) | Place of (का स्थान)             |                                            |              |            |                      | Others (अन्य) |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------------|----------------------|---------------|
|                                 | Burn Mark (जले<br>हुए का निशान) | Leucoderma<br>(लुकोदेर्मा(सफ़ेद<br>धब्बे)) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) |               |
| 14                              | 15                              | 16                                         | 17           | 18         | 19                   | 20            |
|                                 |                                 |                                            |              |            |                      |               |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

